**स्पीड पोस्ट/फैक्स से**

**एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/पीओएल नं.16/2006**

05 सितम्बर, 2006

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के लिए

प्रिय महोदय,

**विषय : आवास वित्त कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशा-निर्देश**

इस संबंध में सर्वोत्तम व्यवहार बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशा-निर्देश तैयार किए हैं । संहिता, ग्राहकों के साथ लेनदेन करने, पारदर्शिता बढ़ाने में न्यूनतम मानक स्थापित करके उत्तम एवं उचित व्यवहार का संवर्धन करने की मांग करती है जिससे कि ग्राहक को इस बात की बेहतर समझ हो सके कि वह उपयुक्त रूप से सेवाओं से क्या आशा रखता है, उच्चतर परिचालन मानक प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता के माध्यम से बाजारी ताकतों को प्रोत्साहित कर सकता है, ग्राहक और आवास वित्त कंपनी के बीच उचित एवं मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ा सकता है और आवास वित्त प्रणाली में विश्वास पैदा कर सकता है ।

2. इन दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रत्येक आवास वित्त कंपनी 30 सितम्बर, 2006 तक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनाई जाने के लिए एक उपयुक्त उचित व्यवहार संहिता तैयार कर सकती है । ऐसा करने में, आवास वित्त कंपनी के पास अंतर्निहित मनोभाव का त्याग किए बिना संहिता का दायरा बढ़ाने की स्वतंत्रता होगी ।

3. आवास वित्त कंपनियां अपने ग्राहकों/संभावित ग्राहकों के लाभार्थ संहिता को अपनी शाखाओं, अपने वेबसाइट में प्रदर्शित कर सकती हैं ।

भवदीय,

(आर.भल्ला)
महाप्रबंधक
विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग

संलग्न : यथोपरि